न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 1 सन 2015

अनवान :–

1. रूकमा पुत्री किशनाराम जाति नायक निवासी नेहराना हाल निवासी तलवाडा खूर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा जरिये मुख्त्यारे आम श्यामलाल पुत्र दानाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1 बुधराम पुत्र निराणाराम जाति नायक निवासी नेहराना तहसील नोहर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 35 स्वीकृति दिनांक 09.10.1978 जिसकी रूह में अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित किया गया है।

उपस्थित :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्टस–1

निर्णय दिनांक :– 13/3/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने विरूद्ध रेस्पोडेण्टस यह अपील 75 एलआरएक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 35 स्वीकृति दिनांक 09.10.1978 द्वारा ग्राम पंचायत ललानाबास दिखनादा कतई विधि विरूद्व बिना वारिस प्रमाण पत्र के बिना दस्तावेजी साक्ष्य के पारित किया गया है जो खारिज योग्य है।

रोही मौजा नहराना के खसरा न0 15 की 32.10 बीधा व खसरा न0 132 की 16.17 बीधा कुल 49.07 बीघा भूमि जिसके डुगर पुत्र मुकना जाति नायक खातेदार काश्तकार थे डुगर वल्द मुकनाराम लावल्द फौत हो गये उक्त के कोई औलाद नही थी मुकनाराम के केवल दो ही वारिस किशनाराम व डुगरराम थे किशनाराम के मात्र एक संतान अपीलान्ट रूकमा थी जो डुगर की भूमि की प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी थी तथा उक्त भूमि डुगर के फोत होने पर अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार है उक्त नामान्तकरण अपीलान्ट के दर्ज होना था रेस्पोडेण्टस न0 1 मिथ्या तथ्य प्रस्तुत कर स्वय को डुगर का पुत्र बतातें हुए कतई गलत तौर से अपने नाम अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज करवा लिया जो अपीलान्ट के हकों के विपरित है।

बुधराम मृतक डुगरराम का साला निराणाराम का लडका है तथा डुगरराम की पत्नी का भतीजा है जबकि डुगरराम व उसकी पत्नी बेऔलाद फौत हो गये रेस्पोडेण्टस 1 ने फर्जी तरीके से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वय को डुगरराम का पुत्र बताते हुए उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज करवाया है रेस्पोडेण्टस संख्या 2 ने अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज करते समय कोई जांच नही की गई तथा अपीलाण्ट की भूमि रेस्पोंडेण्टस संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी इसलिये अपीलाधीन नामान्तकरण विधि विरूद्व होने से अपास्तनीय है।

अपीलाण्ट को पूर्व में उक्त नामान्तकरण दर्ज करते समय कोई सूचना नही दी गई ना ही अखबार में साया की गई तथा कोई पत्रावली भी नही बनाई गई एकतरफा मनमाने तौर से व गैरकानुनी ढंग से बिना किसी सूचना के नामान्तकरण दर्ज किया गया है जो अपास्तनीय है।

अपीलाधीन नामान्तकरण रेस्पोंडेण्टस संख्या 1 के नाम दर्ज रहने से अपीलाण्ट के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है तथा रेस्पोडेण्टस संख्या 1 उपरोक्त नामान्तकरण से उत्साहित होकर वाद भूमि कभी भी अन्यत्र रहन बैय करने पर आमाद है यदि रेस्पोडेण्टस अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपीलाण्ट को नापुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये ताफैसला दावा अपील रेस्टपोण्टस को अपीलाण्ट पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

अपीलाधीन नामान्तकरण का अपीलाण्ट को पूर्व में ज्ञान नही था क्योकि वह हरियाण प्रान्त में रहती है निरक्षर व अनपढ देहाती महिला है जिसे कानुनी पेचिदगीयों का कतई ज्ञान नही है अपीलाण्ट को पता चला की रेस्पोडेण्टस न0 1 ने पटवारी हल्का से ऋण लेने के लिये कागजात तैयार करवा रखे है तब पटवारी हल्का से मिली व दिनांक 01.07.2015

को नकले प्राप्त की जबकि उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण के सम्बध में अपीलाण्ट को कोई सूचना नही दी गई उसकी गैर मौजुदगी में नामन्तकरण दर्ज हुआ है जो अपीलाण्टस के ज्ञान में नही है। अत अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन है अपील अपीलाण्टस स्वकार कर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 09.10.1978 को अपास्त फरमाया जावे। व अपील के साथ मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया।

अपनी अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सीपीसी प्रस्तुत किया की अपीलाधीन नामान्तकरण रेस्पोडेण्टस संख्या 1 के नाम दर्ज रहने से अपीलाण्ट के खातेदारी हकों का हनन होता है तथा रेस्पोडेण्टस संख्या 1 अपीलाधीन नामान्तकरण से उत्साहित होकर वाद भूमि अन्यत्र रहन बेय करने पर आमादा है जिससे अपीलाण्टस को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये ताफैसला अपील रेस्पोडेण्टस को पाबन्द करवा पाने की अधिकारी है अतः रोही मौजा नेहराना के खसरा न0 15/32.10 ,132/16.17 ,कुल 49.07 बीधा भूमि को रेस्पोडेण्टस संख्या 1 रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे।

अपीलाण्टस की अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्टस को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सीपीसी पर एकपक्षिय तौर से सुना जाकर वादभूमि की रिकार्ड एव मौका की यथास्थिति का स्थगन आदेश दिनांक 02.07.2015 को जारी किया जाकर रेस्पोडेण्टस को नोटिस जारी किये गये ।

रेस्पोडेण्टस जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर अपीलाण्टस के प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 5 सीपीसी का जबाब पेश किया की अपीलाण्टस ने एक वाद संख्या 5/2013 अनवानी रूकमा बनाम बुधराम आदि श्रीमानजी के न्यायालय में पेश किया जिसके साथ 212 आरटीएक्ट का प्रार्िना पत्र रूकमा बनाम बुधराम भी पेश किया गया था जि5समें श्रीमानजी के द्वारा स्थगन आदेश जारी नही किया प्रार्थना पत्र में जबाब प्रार्थना पत्र भी पेश हो चुका है तथा वाद में तनकीआत भी कायम हो चुकी है वास्ते साक्ष्य मुकर्रर है किन्तु दावा में देरीना करने के लिये प्रार्थना पेश की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पेश की गई जिसका भी निर्णय हो चुका है वर्तमान वाद साक्ष्य हेतु निधार्रित है।

उक्त वाद अपील से पहले पेश हुआ है जिसमें स्थगन नही होने के कारण उसी वाद भूमि जिसका वाद पेश कर रखा है कि अपील पेश कर न्यायालय को गुमराह करके स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है एक ही न्यायालय में एक ही विषयवस्तू के दो प्रकरण विचाराधीन नही चल सकते है।

सारे तथ्य व विवाद दावा में तय होने है जो न्यायालय में विचाराधीन है तथा मुख्त्यारआम के जरिये प्रस्तुत अपील विचाराधीन नही रह सकती है अपीलान्ट किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है अपीलान्ट का डुगरराम से कोई सम्बध नही है मात्र फर्जी वारिस बनकर भूमि हडप करना चाहता है बुधराम डुगरराम का खोलायत पुत्र है उसी हैसियत से सम्पूर्ण जांच उपरान्त नामान्तकरण दर्ज किया गया है रूकमा को आज भी किसी ने नही देखा है 40 वर्षो के बाद अपील पेश करना नियम विरूद्व है स्थगन आदेश खारिज फरमाया जावे।

इसीप्रकार दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का जबाब पेश किया गया की रूकमा को इन्तकाल के सम्बध में पूर्ण जानकारी थी अपीलान्ट की अपील अन्दर मियाद नही है क्योकि अपीलान्टस जो बहुत तेज तर्रार है क्योकि दावा में अपीलान्टस द्वारा अपना निवास स्थान अलाईला तहसील भादरा दर्शाया है तथा अपील में निवासी तलवाडा खूर्द एलनाबाद दर्शाया है अपील पेश करने से पूर्व एक वाद 5/2013 जो दिनांक 15.01.2013 को प्रस्तुत किया गया है अपीलाधीन आदेश वर्ष 1978 का है जिसे लगभग 40 साल हो चुके है जब अपील में अकित भूमि का वाद पूर्व से ही विचारधीन है और दिनांक 25.6.2015 को ज्ञान होने का कथन कर अपील पेश करने की छुट चाही गई है जबकि पटवारी हल्का से तो पूर्व में दावा पेश होने का ज्ञान था अतः अपील अपीलान्टस मियाद बाहर होने के कारण इसी बिन्दु पर खारिज योग्य है।

दोनो जबाब प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किये जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

वकील अपीलान्टस के अधिवक्ता ने अपने अपील में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 35 स्वीकृति दिनांक 09.10.1978 द्वारा ग्राम पंचायत ललानाबास दिखनादा कतई विधि विरूद्व बिना वारिस प्रमाण पत्र के बिना दस्तावेजी साक्ष्य के पारित किया गया है जो खारिज योग्य है।

रोही मौजा नहराना के खसरा न0 15 की 32.10 बीधा व खसरा न0 132 की 16.17 बीधा कुल 49.07 बीघा भूमि जिसके डुगर पुत्र मुकना जाति नायक खातेदार काश्तकार थे डुगर वल्द मुकनाराम लावल्द फौत हो गये उक्त के कोई औलाद नही थी मुकनाराम के केवल दो ही वारिस किशनाराम व डुगरराम थे किशनाराम के मात्र एक संतान अपीलान्ट रूकमा थी जो डुगर की भूमि की प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी थी तथा उक्त भूमि डुगर के

फोत होने पर अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार है उक्त नामान्तकरण अपीलान्ट के दर्ज होना था रेस्पोडेण्टस न0 1 मिथ्या तथ्य प्रस्तुत कर स्वय को डुगर का पुत्र बतातें हुए कतई गलत तौर से अपने नाम अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज करवा लिया जो अपीलान्ट के हकों के विपरित है।

बुधराम मृतक डुगरराम का साला निराणाराम का लडका है तथा डुगरराम की पत्नी का भतीजा है जबकि डुगरराम व उसकी पत्नी बेऔलाद फौत हो गये रेस्पोडेण्टस 1 ने फर्जी तरीके से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वय को डुगरराम का पुत्र बताते हुए उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज करवाया है रेस्पोडेण्टस संख्या 2 ने अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज करते समय कोई जांच नही की गई तथा अपीलाण्ट की भूमि रेस्पोंडेण्टस संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी इसलिये अपीलाधीन नामान्तकरण विधि विरूद्व होने से अपास्तनीय है।

अपीलाण्ट को पूर्व में उक्त नामान्तकरण दर्ज करते समय कोई सूचना नही दी गई ना ही अखबार में साया की गई तथा कोई पत्रावली भी नही बनाई गई एकतरफा मनमाने तौर से व गैरकानुनी ढंग से बिना किसी सूचना के नामान्तकरण दर्ज किया गया है जो अपास्तनीय है।

अपीलाधीन नामान्तकरण रेस्पोंडेण्टस संख्या 1 के नाम दर्ज रहने से अपीलाण्ट के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है तथा रेस्पोडेण्टस संख्या 1 उपरोक्त नामान्तकरण से उत्साहित होकर वाद भूमि कभी भी अन्यत्र रहन बैय करने पर आमाद है यदि रेस्पोडेण्टस अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपीलाण्ट को नापुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये ताफैसला दावा अपील रेस्टपोण्टस को अपीलाण्ट पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

अपीलाधीन नामान्तकरण का अपीलाण्ट को पूर्व में ज्ञान नही था क्योकि वह हरियाण प्रान्त में रहती है निरक्षर व अनपढ देहाती महिला है जिसे कानुनी पेचिदगीयों का कतई ज्ञान नही है अपीलाण्ट को पता चला की रेस्पोडेण्टस न0 1 ने पटवारी हल्का से ऋण लेने के लिये कागजात तैयार करवा रखे है तब पटवारी हल्का से मिली व दिनांक 01.07.2015 को नकले प्राप्त की जबकि उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण के सम्बध में अपीलाण्ट को कोई सूचना नही दी गई उसकी गैर मौजुदगी में नामन्तकरण दर्ज हुआ है जो अपीलाण्टस के ज्ञान में नही है। अत अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन है अपील अपीलाण्टस स्वकार कर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 09.10.1978 को अपास्त फरमाया जावे। व अपील के साथ मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया।

अपनी अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सीपीसी प्रस्तुत किया की अपीलाधीन नामान्तकरण रेस्पोडेण्टस संख्या 1 के नाम दर्ज रहने से अपीलाण्ट के खातेदारी हकों का हनन होता है तथा रेस्पोडेण्टस संख्या 1 अपीलाधीन नामान्तकरण से उत्साहित होकर वाद भूमि अन्यत्र रहन बेय करने पर आमादा है जिससे अपीलाण्टस को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये ताफैसला अपील रेस्पोडेण्टस को पाबन्द करवा पाने की अधिकारी है अतः रोही मौजा नेहराना के खसरा न0 15/32.10 ,132/16.17 ,कुल 49.07 बीधा भूमि को रेस्पोडेण्टस संख्या 1 रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे।

रेस्पोडेण्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की रोही मौजा नेहराना के खसरा न0 15/32.10 ,132/16.17 ,कुल 49.07 का नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 09.10.1978 को विधि अनुरूप पूर्ण जांच करने के उपरान्त दर्ज किया गया है वाद भूमि का खातेदार डुगरराम व उसकी पत्नी लावल्द फोत हो चुके है उन्होने अपने जीवनकाल में ही बुधराम को खोले ले लिया तथा गांव के मौजीज व्यक्तियों के सामने लिखापढी भी करवाई गई थी बुधराम रेस्पोडेन्स न0 1 ने ही डुगरराम व उसकी पत्नि को अन्तिम समय तक सेवा चाकरी की गई थी तथा समस्त किया कलाम भी बुधराम के द्वारा पुरे किये गये थे डुगरराम की मृत्यू के बाद डुगरराम के खोलायत पूत्र के रूप में जाना जाता था इसलिये वाद भूमि डुगरराम के देहान्त होने के बाद बुधराम रेस्पोडेण्टस संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है रूकमा को किसी ने भी नोहर में कभी भी नही देखा ना ही रूकमा अपीलान्टस का डुगरराम से किसी प्रकार को कोई सम्बध में केवल मात्र मनगंढत तथ्यों के आधार पर वाद भूमि हडप करने के लिये अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है।

प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 5 सीपीसी का जबाब पेश किया की अपीलाण्टस ने एक वाद संख्या 5/2013 अनवानी रूकमा बनाम बुधराम आदि श्रीमानजी के न्यायालय में पेश किया जिसके साथ 212 आरटीएक्ट का प्रार्िना पत्र रूकमा बनाम बुधराम भी पेश किया गया था जि5समें श्रीमानजी के द्वारा स्थगन आदेश जारी नही किया प्रार्थना पत्र में जबाब प्रार्थना पत्र भी पेश हो चुका है तथा वाद में तनकीआत भी कायम हो चुकी है वास्ते साक्ष्य मुकर्रर है किन्तु दावा में देरीना करने के लिये प्रार्थना पेश की निगरानी माननीय राजस्व

मण्डल राजस्थान अजमेर में पेश की गई जिसका भी निर्णय हो चुका है वर्तमान वाद साक्ष्य हेतु निधार्रित है।

उक्त वाद अपील से पहले पेश हुआ है जिसमें स्थगन नही होने के कारण उसी वाद भूमि जिसका वाद पेश कर रखा है कि अपील पेश कर न्यायालय को गुमराह करके स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है एक ही न्यायालय में एक ही विषयवस्तू के दो प्रकरण विचाराधीन नही चल सकते है।

सारे तथ्य व विवाद दावा में तय होने है जो न्यायालय में विचाराधीन है तथा मुख्त्यारआम के जरिये प्रस्तुत अपील विचाराधीन नही रह सकती है अपीलान्ट किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है अपीलान्ट का डुगरराम से कोई सम्बध नही है मात्र फर्जी वारिस बनकर भूमि हडप करना चाहता है बुधराम डुगरराम का खोलायत पुत्र है उसी हैसियत से सम्पूर्ण जांच उपरान्त नामान्तकरण दर्ज किया गया है रूकमा को आज भी किसी ने नही देखा है 40 वर्षो के बाद अपील पेश करना नियम विरूद्व है स्थगन आदेश खारिज फरमाया जावे।

इसीप्रकार दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का जबाब पेश किया गया की रूकमा को इन्तकाल के सम्बध में पूर्ण जानकारी थी अपीलान्ट की अपील अन्दर मियाद नही है क्योकि अपीलान्टस जो बहुत तेज तर्रार है क्योकि दावा में अपीलान्टस द्वारा अपना निवास स्थान अलाईला तहसील भादरा दर्शाया है तथा अपील में निवासी तलवाडा खूर्द एलनाबाद दर्शाया है अपील पेश करने से पूर्व एक वाद 5/2013 जो दिनांक 15.01.2013 को प्रस्तुत किया गया है अपीलाधीन आदेश वर्ष 1978 का है जिसे लगभग 40 साल हो चुके है जब अपील में अकित भूमि का वाद पूर्व से ही विचारधीन है और दिनांक 25.6.2015 को ज्ञान होने का कथन कर अपील पेश करने की छुट चाही गई है जबकि पटवारी हल्का से तो पूर्व में दावा पेश होने का ज्ञान था अतः अपील अपीलान्टस मियाद बाहर होने के कारण इसी बिन्दु पर खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया दोनो प्रार्थना पत्रों एवं जबाब प्रार्थना पत्रों का भी अवलोकन किया गया।

अपीलान्टस ने यह अपील नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 09.10.1978 के विरूद्व यह कथन करते हुए पेश की गई है अपीलाण्टस वाद भूमि की हकदार है अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 35 मृतक डुगरराम के देहान्त होने पर विरास्तन से दर्ज हुआ है अपीलान्टस रूकमा अपने आप को किशनाराम की पुत्री होने का कथन किया गया है एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सीपीसी पेश कर कथन किया गया है कि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 के नाम भूमि दर्ज होने से वह कभी भी वाद भूमि का रहन बेय कर सकता है पाबन्द करने हेतु निवेदन किया गया था जिस पर सुनते हुए प्रथम दृष्टया स्थगन आदेश जारी किया गया।

अपने कथनों के समर्थन में आदिनांक तक ऐसा कोई साक्ष्य सबुत पेश नही किया गया जिससे उसका किशनाराम से कोई सम्बध साबित हो सके मात्र कथन किया गया है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेण्टस संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे बिना किसी साक्ष्य सबुतों मात्र कथनों के आधार पर प्रभावित नही किया जा सकता है

जहॉ तक रेस्पोडेन्टस का वाद भूमि बेचान करने का प्रश्न है आदिनांक तक ऐसा साक्ष्य सबुत पत्रावली पर मौजुद नही है जिससे बेचान किया जाना सिद्व हो सके

अपीलान्टस द्वारा अपील से पूर्व ही एक वाद संख्या 5/2013 अनवानी रूकमा बनाम बुधराम एवं एक प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट संख्या 10/2013 अनवानी रूकमा बनाम बुधराम इसी न्यायालय में दायर किया गया जो कि साक्ष्य हेतु विचाराधीन है एवं प्रार्थना पत्र में बहस हो चुकी है।

अपीलान्ट के द्वारा उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत करने से पूर्व पेश किया गया है अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत 212 आरटीएक्ट के प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार को कोई स्थगन आदेश जारी नही किया गया है ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय द्वारा अपीलान्टस के 212 आरटीएक्ट के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नही होने पर न्यायालय से तथ्यों को छुपाकर हस्तगत अपील एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सीपीसी प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त किया गया है जो न्यायोचित नही है।

अपीलान्टस का दायित्व था कि वह अपनी अपील में पूर्व में न्यायालय मे प्रस्तुत वाद एवं 212 आरटीएक्ट के प्रार्थना पत्र का अंकन करता जिससे न्यायालय को सही तथ्यों का ज्ञान होता किन्तु अपीलान्ट ने अपील में उक्त कथनों का अकन नही किया गया है अर्थात अपीलान्ट क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है।

हस्तगत न्यायालय में जब पूर्व से ही वाद /प्रार्थना पत्र विचाराधीन है तो उसी वादभूमि के सम्बध में अन्य प्रकरण प्रस्तुत नही किया जाना चाहिये था।

नामान्तकरण स्वीकृति के कई सालो के बाद मात्र ज्ञान नही होने का कथन कर किसी रिकार्डेड खातेदार को पबान्द करवाने का निवेदन करने पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को पाबन्द किये जाने पर अपूर्णीय क्षति रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को ही होती है।

उक्तानुसार विवेचन से पूर्णत्या साबित हो चुका है कि नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 09.10.1978 को स्वीकृत किया गया था जिसके आधार पर रेस्पोडेन्टस संख्या 1 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है अपीलान्ट के मात्र कथन से की वह किशनाराम की वारिस है के आधार पर रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है।

अपीलान्ट के द्वारा इसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया हुआ है जो वर्तमान में साक्ष्य हेतु विचाराधीन है वाद में तय होगा की अपीलान्टस का वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा है या नही साथ ही एक ही न्यायालय में एक ही भूमि के दो प्रकरण विचाराधीन नही रह सकते है जो पहले पेश किया गया है वही विचाराधीन रहेगी। अपीलान्टस के द्वारा वाद पहले पेश किया गया है इसलिये वाद में ही विधि सम्मत सुनवाई होगी।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सीपीसी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाात है एव न्यायालय द्वारा दिनांक 02.07.2015 को रोही मौजा नहराना के खसरा न0 15/32.10 बीधा , 132/16.17 बीधा कुल 49.07 बीधा पर जारी स्थगन आदेश को निरस्त किया जाता है एवं हस्तगत अपील न्यायालय में विचाराधीन वाद के संलग्न की जाती है व्यय अपील उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)